

1951

4/11/96

Ex-100002

A 6573

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् उत्तर क्षेत्रीय समिति, जयपुर

क्रमांक: एफ-3/अ.र.जे.-10/3839

रजिस्टर्ड

दिनांक: 23-10-96

आदेश

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम 1993 की धारा 14(3)(ए) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तर क्षेत्रीय समिति, राजकीय उच्च अध्ययन संस्थान, अजमेर को सत्र 96-97 से एक वर्षीय नियमित बी.एड. (सेकेण्डरी) पाठ्यक्रम में 150 छात्र/छात्राओं को प्रवेश देने के लिये मान्यता प्रदान करती है।

यह मान्यता उक्त अधिनियम की धारा 17(1) के अन्तर्गत कार्यवाही न होने तक जारी रहेगी।

आज्ञा से

sd/

(डा. अनिल शुक्ला)
क्षेत्रीय निदेशक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. शासन सचिव, शिक्षा, राजस्थान राज्य सरकार, सचिवालय, जयपुर
2. शिक्षा निदेशक, प्राथमिक/माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान राज्य सरकार
3. कुल सचिव, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर
4. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्/संस्थान, राजस्थान
5. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च शिक्षा संस्थान, अजमेर
6. सदस्य सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली
7. कार्यालय आदेश फाइल
8. भारत के राजपत्र में प्रकाशन हेतु
9. गार्ड फाइल

(डा. अनिल शुक्ला)
क्षेत्रीय निदेशक

36. 00001

Shantosh Gupta,
N.C.T. E. Jaipur

L.f.C

-सुखी तल-